रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 1990/ज्येष्ठ 15, 1912
No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 1990/JYAISTHA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1990

सा. का. नि. 543(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"17क. ऐसा व्यय जिसकी बाबत बजट में उपबंध नहीं किया गया है.—ऐसा व्यय जो आकस्मिक और आवश्यक प्रकृति का हो, किन्तु जिसकी बाबत बजट में कोई उपबंध न किया गया हो, केवल तब ही उपगत किया जाएगा जब [कार्यकारी समिति ने उसका अनुमोदन कर दिया हो।

17ख. विनियोग :—मंजूर किए गए बजट में उपबंधित निधियों की बाबत यह समझा जाएगा कि महानिदेशक को बजट में प्राधिकृत और उपबंधित क्रियाकलापों और प्रयोजनों के लिए विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन व्यय को पूरा करने के लिए उनमें से किसी भी राशि का अपने प्रसादानुसार विनियोग करने के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी :

परन्तु इन निधियों का विनियोग और पुनर्विनियोग ऐसे व्यय को पूरा करने के लिये नहीं किया जाएगा जिसकी मंजूरी ऐसे प्राधिकारी द्वारा न दी गई हो जो ऐसी मंजूरी देने के लिए सक्षम हो।

17ग पुनर्विनियोग :—महानिदेशक को ऐसे क्रियाकलापों और प्रयोजनों की परिधि के अन्तर्गत, जिनकी बाबत बजट में उपबंध किया गया है, ऐसी राशियों को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग करने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु ऐसे निधियों का पुनर्विनियोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा–

(i) काम की किसी ऐसी नई मद पर व्यय को पूरा करने के लिए जो बजट में अनुध्यात नहीं है;

(ii) किसी ऐसी परियोजना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए जिसमें ऐसा निर्माण अन्तर्वलित हो जिसकी बाबत सक्षम प्राधिकारियों से प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी प्राप्त न की गई हो;

(iii) किसी ऐसी परियोजना के संबंध में व्यय को पूरा करने के लिए, जिसमें निर्माण अन्तर्वलित हो, जो अनुमोदित प्राक्कलनों के दस प्रतिशत से अधिक हो;

(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए बजट में व्यय की किसी विनिर्दिष्ट नई मद के लिए किए गए उपबंध से;

(v) ऐसी निधियों से जिनकी बाबत उपबंध योजनागत शीर्ष के अधीन किया गया है व्यय की गैरयोजनागत शीर्ष में और पूंजी से राजस्व में तथा विपर्ययेन; और

(vi) "विदेशी यात्रा" व्यय से संबंधित लेखा शीर्ष से या उसमें।

17घ. बैंक खाते : (1) बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी समनुषंगी बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जाएंगे और उनका संचालन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी महानिदेशक प्राधिकृत करे।

(2) निधि से संबंधित सभी राशियां बैंक में तुरंत जमा कराई जाएंगी।

17ङ. विनिधान :—निधि से संबंधित राशियों का, महानिदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से, विनिधान पूर्ण रूप से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए व्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से प्राप्त आय के विनिधान के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 113) की धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रूप और ढंग से किया जाएगा।

17च. संविदा :—(1) ब्यूरो अधिनियम के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए कोई भी ऐसी संविदा कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) अधिनियम के अधीन या उसके किसी प्रयोजन के लिए की गई प्रत्येक संविदा ब्यूरो की ओर से महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

17छ. भविष्य निधि का प्रबंध :—(1) ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू अभिदायी भविष्य निधि और साधारण भविष्य निधि का प्रबंध प्रशासकों की एक ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे महानिदेशक निर्दिष्ट करे और यह समिति एक अध्यक्ष और चार अन्य व्यक्तियों से, जिनमें कम से कम दो अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे, मिलकर बनेगी।

(2) प्रशासकों की समिति के कृत्यों में भविष्य निधि का प्रबंध और उनका सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य विक्षेपों में, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित रीति से विनिधान, सम्मिलित होगा। उसे ऐसे कृत्यों को जो वह आवश्यक समझे अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करने की भी शक्ति होगी।

[सं. 6(1)/88–बी. आई. एस.]
एम. के. जुत्शी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा. का. नि. 361 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 1987 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात् उसका संशोधन अधिसूचना सं. सा. का. नि. 7(अ) तारीख 6 जनवरी, 1989 और अधिसूचना सं. सा. का. नि. 48(अ), तारीख 2 फरवरी, 1990 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1990

G.S.R. 543(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Indian Standards Second (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, after rule 17, the following rules shall be inserted, namely :—

"17A. Expenditure not Budgeted for.—The expenditure which is of an emergent and essential in character but provision for the same has not been made in the budget shall be incurred only after the Executive Committee has approved of it.

17B. Appropriation.—The funds provided in the sanctioned budget shall be deemed to be at the disposal of the Director-General who shall have full powers to appropriate sums therefrom to meet expenditure under different heads of accounts for activities and purposes authorised and provided for in the budget :

Provided that funds shall no be appropriated or reappropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it.

17C. Reappropriation.—The Director-General shall have powers within the scope of the budgeted activities and purposes to re-appropriate sums from one head of account to another :

Provided that funds shall not be reappropriated—

(i) to meet the expenditure on any new item of work not contemplated in the budget ;

(ii) to meet the expenditure on any Project involving construction which has not received administrative approval and technical sanction from the competent authorities ;

(iii) to meet the expenditure on any Project involving construction, in excess of 10 per cent of the approved estimates ;

(iv) from the provision made for any specified new item of expenditure in the budget for any other purpose ;

(v) from funds provided under Plan heads to the Non-Plan heads of expenditure and from Capital to Revenue and vice versa ; and

(vi) from or to head of account "Overseas travel" expenditure.

17D. Bank Accounts.—(1) Bank accounts shall be opened in State Bank of India or any of its subsidiaries or any of the nationalized banks and operated in such a manner as may be authorised by the Director-General.

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited promptly into the Bank.

17E. Investment.—Moneys belonging to the Fund may, with the approval of the Director-General or any other Officer authorized in this behalf, be invested in the form and modes as specified under sub-section (5) of section 11 of the Income-tax Act, 1961 (113 of 1961) for Investment of Income derived from Property held under trust wholly for Charitable or religious purposes.

17F. Contract.—(1) The Bureau may enter into all such contracts as it may consider necessary for giving effect to any of the provisions of the Act.

(2) Every contract made under or for any purpose of the Act shall be made on behalf of the Bureau by the Director-General or such other officers as may be authorised by him in this behalf.

17G. Administration of Provident Fund.—(1) Contributory Provident Fund and General Provident Fund applicable to the officers and employees of the Bureau shall be administered by a committee of administrators, to be nominated by the Director-General, comprising a Chairman and four other persons out of which at least two of them shall be the representatives of officers and employees.

(2) The functions of the committee of administrators shall include management of the Provident Funds and investment of the same in Government Securities and other deposits, in the manner laid down by the Central Government in this regard. It shall also have the power to delegate such of the functions as it may consider necessary to one or more of its members."

[No. 6(1)/88-BIS]
M. K. ZUTSHI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was notified vide No. G.S.R. 361(E) dated 1st April, 1987, and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 7(E) dated 6th January, 1939, and notification No. G.S.R. 48(E) dated 2nd February, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990